delay in their promotion; and

(d) the steps taken to fill up the vacant posts?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Eight upgraded posts of CMO's are lying vacant for ISM & Homoeopathic Physicians under CGHS Delhi/Ministry.

(b) to (d) In accordance with Recruitment Rules, which are under finalisation in consultation with Union Public Service Commission, the upgraded posts are to be filled up by promotion from officers in the feeder grade having requisite qualifying service. None of the officers was eligible for vacancies upto the year 1993-94. It is not proposed to fill up the posts otherwise than by promotion.

**Supply of indented medicines at CGHS Dispensary in R.K. Puram**

1656. SHRI RAMSINH RATHWA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the indented medicines are supplied after lapse of 20-22 days to beneficiaries of CGHS, Ayurvedic Dispensary, R.K. Puram, if so, what are the rules in this regard and the details of violation of the rules by the authorities of that dispensary during the last three months;

(b) what is the names of the concerned chemist agency attached to the dispensary of R.K. Puram and what action is taken against the chemist for not supplying the medicines in time; and

(c) whether any representation from the beneficiaries has been received in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (c) No, Sir. Medicines are usually, supplied within 24 hours. Only one complaint of delayed supply has come to notice.

(b) M/s Bhusari and Sons, Paharganj is attached to the R.K. Puram dispensary.

**मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम**

1657. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय मलेरिया उन्मूलन हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और मलेरिया के भयंकर प्रकोप वाले क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान करती है; यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गई; और

(ग) क्या सरकार को मलेरिया उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी किसी भी रूप से सहायता प्रदान की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द):** (क) मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में कीट-नाशक के छिड़काव और शहरी क्षेत्रों में लार्वा-रोधी उपायों के माध्यम से मलेरिया के रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने और वैक्टर नियंत्रण पर ध्यान देता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु से अपेक्षाकृत मलेरिया की घटनाएं अधिक होने की सूचना मिली है;

(ख) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ग) सामूहिक शैक्षणिक कार्यकलापों, अध्येयता वृत्तियों, मूल्यांकन और मलेरियाजनक स्तरीकरण के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता उपलब्ध है। 1992-93 के दो वर्षों में 153 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।

## विवरण

**1990-91 से 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण**

(लाख रुपये)

| | राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 576.99 | 496.36 | 476.65 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 40.47 | 24.76 | 65.75 |
| 3. | असम | 409.50 | 525.56 | 161.83 |
| 4. | बिहार | 485.42 | 70.70 | 374.41 |
| 5. | गोवा | 1.55 | 0.97 | 11.14 |
| 6. | गुजरात | 499.01 | 398.46 | 824.68 |
| 7. | हरियाणा | 98.26 | 126.40 | 90.28 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 40.62 | 119.14 | 111.37 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 116.29 | 75.15 | 72.64 |
| 10. | कर्नाटक | 174.90 | 261.51 | 318.35 |
| 11. | केरल | 14.10 | 8.50 | 42.59 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 902.30 | 922.94 | 1203.13 |
| 13. | महाराष्ट्र | 953.83 | 935.85 | 1066.13 |
| 14. | मणिपुर | 42.27 | 15.03 | 45.54 |
| 15. | मेघालय | 19.03 | 75.75 | 86.40 |
| 16. | मिजोरम | 60.03 | 54.40 | 51.74 |
| 17. | नागालैंड | 59.90 | 66.64 | 22.28 |
| 18. | उड़ीसा | 284.41 | 363.35 | 297.19 |
| 19. | पंजाब | 606.09 | 270.76 | 396.02 |
| 20. | सिक्किम | 2.11 | 22.79 | 13.47 |
| 21. | राजस्थान | 428.89 | 604.71 | 546.53 |
| 22. | तमिलनाडु | 48.77 | 136.78 | 194.04 |
| 23. | त्रिपुरा | 148.10 | 77.73 | 43.69 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 813.68 | 824.58 | 606.13 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 430.05 | 243.88 | 172.14 |
| 26. | पांडिचेरी | 2.25 | 1.06 | 8.68 |
| 27. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 49.36 | 57.99 | 61.99 |
| 28. | चंडीगढ़ | 24.79 | 46.65 | 33.95 |
| 29. | दादरा और नगर हवेली | 11.41 | 4.06 | 19.42 |
| 30. | दमण और दीव | 2.07 | 2.20 | 6.82 |
| 31. | दिल्ली | 61.73 | 123.17 | 50.69 |
| 32. | लक्षद्वीप | 1.30 | 1.37 | 3.30 |
| | योग: | 7400.56 | 6958.84 | 7478.97 |